



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 265 राँची, बुधवार,

8 जून, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

6 जून, 2022 / 6, ज्येष्ठ, 1944 (शक)

सं.3/4/आई.डी./2022/एसडीआर/खण्ड-1।--

1. यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं, तथा

2. यतः निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके,

निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960, के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहाँ निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम, और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र ई०पी०आई०सी० जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा

6. यतः, पंजाब, उत्तरप्रदेश, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और झारखण्ड राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के निर्वाचकों को 100% निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निदेश देता है कि दिनांक 30.05.2022 को अधिसूचित पंजाब के 12-संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरप्रदेश के 7-रामपुर एवं 69-आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, त्रिपुरा के 6-अगरतला, 8-टाउन बोरडोवाली, 46-सुरमा (अ.जा.) एवं 57-जुबराजनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, आंध्रप्रदेश के 115-अट्माकुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 39-राजिन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड के 66-मान्डर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के चालू उप निर्वाचनों के लिए सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-

- i. आधार कार्ड।
- ii. मनरेगा जॉब कार्ड,
- iii. बैंको / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,
- iv. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- v. ड्राइविंग लाइसेन्स,
- vi. पैन कार्ड,
- vii. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
- viii. भारतीय पासपोर्ट,

- ix. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
- x. केन्द्र/ राज्य सरकार/ लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, और
- xi. सांसदों/ विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
- xii. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ।

8. एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 7 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

आदेश से,

(नरेन्द्र ना.बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के० रवि कुमार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**6th June, 2022 / 6 Jyeshth, 1944 (Saka)**No.3/4/ID/2022/SDR/VOL.II--**

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and
2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and
3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Elector Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Elector Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and
4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Elector Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and
5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Elector Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and
6. Whereas, Elector Photo Identity Card have been issued to approximate 100% electors in the State/UT of Punjab, Uttar Pradesh, Tripura, Andhra Pradesh, NCT of Delhi & Jharkhand; and
7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the **current bye-elections in 12-Sangrur Parliamentary Constituency of Punjab, 7-Rampur Parliamentary Constituency & 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 06-Agartala, 08-Town Bordowali, 46-Surma(SC) & 57-Jubarajnagar Assembly Constituencies of Tripura, 115-Atmakur Assembly Constituency of Andhra Pradesh, 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency of NCT of Delhi and 66-Mandar(ST) Assembly Constituency of Jharkhand**, Notified on 30-05-2022, all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting

their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity:-

- (i) Aadhaar Card,
- (ii) MNREGA Job Card,
- (iii) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office,
- (iv) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,
- (v) Driving License,
- (vi) PAN Card,
- (vii) Smart Card issued by RGI under NPR,
- (viii) Indian Passport,
- (ix) Pension document with photograph,
- (x) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies, and
- (xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs.
- (xii) Unique Disability ID (UDID) Card, M/o Social Justice & Empowerment, Government of India

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPIC shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral roll under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Indian Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By Order,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
SR. PR. SECRETARY
